न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 48 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 12.03.2024

1—सीताराम पुत्र धोल्या जाति गुर्जर निवासी दादिया तहसील व जिला टोंक राज0
2—सुखपाल पुत्र धोल्या जाति गुर्जर निवासी दादिया तहसील व जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 12.01.2024 मिसल नम्बर 351 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री राजेश गुर्जर,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 21.05.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट्स को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 474 / 1 व 476 / 1 मे से रकबा 1.7704 है0 किस्म बजड—1 वाके ग्राम दादिया तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 140 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी पर आज तक कभी भी कोई फसल काश्त नही की है ओर ना ही कब्जा करने हेतु अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का ने दुर्भावनावश अपीलांट के नाम गलत रूप से गश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नही किया और ना ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित

जिला कलेक्टर
टोंक

करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट्स को जिरह का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट ने वर्तमान मे उक्त आराजी पर से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलांट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 474/1 व 476/1 मे से रकबा 1.7704 है0 किस्म बजड–1 वाके ग्राम दादिया तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से राजेश की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 474/1 व 476/1 मे कुल रकबा 1.7704 है0 किस्म बजड–1 वाके ग्राम दादिया तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 598/2023 निर्णय दिनांक 30.01.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट्स ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 15.05.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है और भविष्य मे उक्त भूमि पर कब्जा नही करूंगा,उक्त भूमि पर मैने कभी फसल काश्त नही की थी और भविष्य मे भी कभी फसल काश्त नही करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 12.01.2024 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कले
टोंक